17 करोड़ की 85 बीघा सरकारी भूमि से हटाए अतिक्रमण

नवभारत न्यूज
मुरैना/कैलारस, 30 जनवरी। तहसील कैलारस के सैमई गांव में करीब 17 करोड़ कीमती 85 बीघा शासकीय भूमि पर 25 बरसों से

दो जेसीबी और 4 ट्रेक्टरों से नष्ट की सरसों एवं गेंहू की फसलें

कब्जा कर खेती करने वालों को प्रशासन, पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बेदखल कर दिया। प्रशासन की टीम द्वारा इस जमीन पर उगाई जा रही गेंहू एवं सरसों की फसलों को दो जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रेक्टरों की मदद से नष्ट कराने की कार्यवाही की।

कार्रवाई तहसीलदार नरेश शर्मा के नेतृत्व में हुई। प्रशासन की टीम ने पूरी तैयारी और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई में 35 पटवारी, 80 कोटवार और 30 पुलिस के जवान शामिल थे। इस दौरान टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 34 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया। जानकारी के अनुसार उक्त सरकारी जमीन पूर्व में एमडीएस सीमेंट निर्माण कंपनी को आवंटित की गई थी। दशकों पहले कंपनी के बंद होने के बाद इस जमीन पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर लिया था। तकरीबन 25 सालों से दबंग इस जमीन पर खेती कर रहे थे।

तहसीलदार नरेश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस भूमि को गोचर (चरनोई) के रूप में विकसित करने के लिए कलेक्टर मुरैना को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में पशुपालकों और आवारा गौवंश को इसका लाभ मिल सके और दोबारा अतिक्रमण की स्थिति न बने।

मनरेगा को खत्म करने की साजिश, नाम बदलना बहाना

नवभारत न्यूज
मुरैना/कैलारस, 30 जनवरी। मनरेगा योजना का नाम बदलना तो

कैलारस में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन, नारेबाजी

महज बहाना है, केन्द्र की भाजपा सरकार गरीब, मजदूरों के हित की इस योजना को खत्म करने की साजिश रच रही है।

यह बात कांग्रेस नेताओं ने कही। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैलारस के तत्वावधान में कैलारस में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मनरेगा योजना का नाम बदलने और प्रावधानों में बदलाव किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा के बजट में कटौती, मजदूरी के दिन घटाकर और भुगतान में देरी कर इस जनकल्याणकारी योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश कर रही है। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष हरेन्द्र जादौन ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सहारा है। बृजमोहन मरैया ने कहा कि भाजपा सरकार मजदूर विरोधी नीतियों के जरिए गरीबों का हक छीन रही है। नगर अध्यक्ष डॉ. शम्मा कुर्रेशी ने कहा कि जब तक मनरेगा और मजदूरों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

धरना प्रदर्शन में यह रहे शामिल

साबिर पठान, महेन्द्र शर्मा, विनोद पलैया, वीरेन्द्र धाकड़, प्रकाश पलैया, रफीक शेख, ओमप्रकाश शाक्य, सोना बाथम, विशाल श्रीवास्तव, अतीक खान, अजय माहौरिया, मोनू धाकड़, लक्ष्मण धाकड़ सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल थे।

एक नजर में

इंस्टाग्राम पर प्रभु राम को गाली देने वाले पर एफआईआर दर्ज हो

मुरैना, 30 जनवरी। यूजीसी बिल के समर्थन में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म के अनुयायियों के आराध्य प्रभु श्रीराम को भद्दी गाली देने वाली पोस्ट डालने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर की मांग को लेकर तिंदोखर पंचायत के सरपंच धीर सिंह और गुनापुरा के विनोद सिंह जादौन ने 30 जनवरी को चिन्नौनी थाना प्रभारी एसडी बाथम को शिकायती आवेदन सौंपे। इन आवेदनों में बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर तिंदोखर निवासी अमित जाटव पुत्र कप्तान जाटव द्वारा यूजीसी कानून के समर्थन में अपलोड की गई पोस्ट में सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्रीराम को लेकर भद्दी गाली देकर समूचे हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही इस पोस्ट से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं है और उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचीं है। दोनों आवेदनों में प्रभु श्रीराम को गाली देने वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाले अमित जाटव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है।

पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन

मुरैना/जौरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर महात्मा गांधी सेवाश्रम जौरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी हुआ। जिसमें उपस्थितजन ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरूआत हुई। जिसके बाद सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना हुई, जो बापू के सर्वधर्म समभाव और मानवता के संदेश को समर्पित थी। वक्ताओं ने गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए समाज में शांति, सद्भाव और सेवा भाव को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दिलीप जैन, बहादुर सिंह कुशवाह, संजयपाल सिंह जादौन, महेंद्र सिंह बैस, मुनेश जाटव, रामवती बाई, सुदामा मुदगल, मयूर खोले, हरिओम जाटव आदि उपस्थित थे।

बाइक को टक्कर मारकर बेकाबू कार विद्युत पोल से टकराकर पलटी

मुरैना। शहर के आमपुरा क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को एक तेज रफ्तार वैगनार कार अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मारते हुए विद्युत पोल से जा टकराई, विद्युत पोल से टकराने के बाद कार पलट गई। कार की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में किसी के जख्मी या हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार रिंकू जाटव निवासी आमपुरा नामक युवक शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे अपनी वैगनार कार में सवार होकर घर जा रहा था। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद कार सड़क किनारे लगे एक विद्युत पोल को टक्कर मारने के बाद पलट गई। इस दौरान कार के दोनों एयरबैग के खुलने से ड्राईवर सहित उसमें सवार अन्य लोग बाल-बाल बच गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हादसे में किसी के घायल और हताहत होने की खबर नहीं है। कार की टक्कर से बिजली का खंबा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

कैलारस में नि:शुल्क हेल्थ चेकअप कैंप कल लगेगा

मुरैना/कैलारस। समाजसेवी स्व. डॉ. दिनेश सिंह की स्मृति में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कल 1 फरवरी को कस्बा कैलारस में किया जाएगा। यह शिविर 1 फरवरी को सुबह 10 बजे से चौड़ा खरंजा स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आयोजित होगा। शिविर संयोजक डॉ. दीपक सिंह ने बताया कि इस शिविर का आयोजन लक्ष्मीदेवी दिनेश सिंह समाज उत्थान समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है। शिविर में कैंसर, शिशु रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, पेट रोग, स्त्री रोग, दंत रोग एवं अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण मरीजों को उचित सलाह दी जाएगी। इस शिविर में कैंसल हॉस्पीटल ग्वालियर सहित ग्वालियर के नामचीन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दीं जाएगीं।

पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया महात्मा गांधी को नमन

मुरैना/जौरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जौरा के तत्वावधान में विधायक पंकज उपाध्याय के कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रामहेत त्यागी ने की। संचालन नगर अध्यक्ष डॉ. मुरारीलाल अमर ने किया। कार्यक्रम में बापू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेसजनों ने उन्हें नमन किया। जिसके बाद वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, रामस्वरूप शर्मा, दिलीप गुर्जर, शाहबुद्दीन उस्मानी, मुन्ना जाटव, पिंकी झा, बनवारी शाक्य, बद्री शाक्य, गोपाल शाक्य, रामहेत जाटव नेताजी, मनोज शाक्य, रमाकांत सक्सैना, रोहित, जैकी शाक्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नामांकन कार्य में लापरवाही पर 2 बीएसी को नोटिस जारी

नवभारत न्यूज
मुरैना, 30 जनवरी। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों को डोर-टू-डोर एवं दूरभाष के माध्यम से अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विद्यालय में संपर्क एवं

कलेक्टर के निर्देश नामांकन संख्या बढ़ाने डोर-टू-डोर अभियान चलाएं

नामांकन से संबंधित पृथक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए, जिसमें किए गए संपर्क एवं प्रगति का स्पष्ट विवरण दर्ज हो।

शुक्रवार को सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों में रजिस्टर संधारित नहीं पाए जाएं अथवा छात्र संख्या नहीं बढ़े, वहां के शिक्षकों के विरुद्ध डीपीसी के प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक सीएसी एवं बीएसी से नामांकन वृद्धि एवं निरीक्षण से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुरैना बीएसी मुनेश सिकरवार एवं पोरसा सीएसी रामकुमार शाक्य द्वारा संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत न किए जाने पर कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सीएसी की उपस्थिति में हो पीटीएम, एक सप्ताह में लगें ग्रीन बोर्ड

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पीटीएम फरवरी माह में 7, 8 एवं 9 फरवरी को अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए, जिसमें संबंधित सीएसी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। वहीं एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक कक्षा में शाला निधि से ग्रीन बोर्ड लगाए जाएं।

भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले चाचा को आजीवन कैद

मुरैना, 30 जनवरी। मामूली कहासुनी में अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले चाचा को तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन जेल और सात हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि सरायछौला थाना क्षेत्र के हंसराज का पुरा में रहने वाले

सरायछौला क्षेत्र के हंसराज का पुरा में 2011 में हुई थी घटना

रामजीत का उसके चाचा जगदीश केवट (50) से मामूली कहासुनी पर विवाद हो गया। इस विवाद में आरोपी जगदीश केवट ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई, जिससे रामजीत की मौके पर ही मौत हो गई और उसका भाई शिब्बो उर्फशिवसिंह भी सिर में गोली लगने से जख्मी हो गया था। इस मामले में सरायछौला पुलिस ने आरोपी जगदीश केवट, उसके बेटे सभाराम सिंह सहित तीन लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया था। केस का चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहां अभियोजन की दलीलों के आधार पर आरोपी जगदीश को आजीवन कारावास और सात हजार के जुर्माने से दंडित किया है। केस में सहआरोपी जगदीश का बेटा सभाराम सिंह फरार चल रहा है।

आईवीएफ पद्धति से गर्भवती हुई महिला की संदिग्ध मौत

नवभारत न्यूज
मुरैना, 30 जनवरी। शादी को 145 साल बीत जाने के बाद भी संतान न होने पर ग्वालियर के गुप्ता

शादी के 15 साल बीतने पर थी नि:संतान, पेट में था 4 माह का गर्भ

नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम आईवीएफ सेंटर से आईवीएफ पद्धति से संतान प्राप्त करने का इलाज करा रही विवाहित महिला की 30 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका 4 माह की गर्भवती थी।

जानकारी के अनुसार गोहद निवासी ऊषा नामदेव (35) की शादी करीब 15 साल पहले सरायछौला थाना क्षेत्र के ग्राम मृगपुरा निवासी हिरण कुमार उर्फ लल्लो नामदेव के साथ हुई थी। शादी को 15 साल बीतने के बाद भी ऊषा को संताना की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब ऊषा और उसके पति ने ग्वालियर में स्थित गुप्ता नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम में आईवीएफ पद्धति से उपचार कराना शुरू किया। करीब 4 महीने पहले ऊषा ने गर्भधारण किया था। परिजन की माने तो गर्भवती होने के बाद से ही ऊषा की सेहत गड़बड़ाने लगी थी और वह लगातार कमजोर होती जा रही थी। 30 जनवरी शुक्रवार की दोपहर जब ऊषा घर पर थी, तभी अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई। परिवारीजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचें, जहां परीक्षण उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊषा की मौत किन कारणो के चलते हुई, यह जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

7 माह से नहीं मिला वेतन, निटहरा में शिक्षक धरने पर बैठा

नवभारत न्यूज
मुरैना, 30 जनवरी। विगत सात माह से वेतन का भुगतान न होने की वजह से मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान शिक्षक ने 30 जनवरी को शासकीय हाईस्कूल निटहरा के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे शिक्षक शिशुपाल सिंह यादव का कहना था कि जुलाई 2025 में डीपीसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी सेवाएं डीईओ ऑफिस को सौंप दी गई थी। डीईओ ऑफिस से

वेतन भुगतान को लेकर शिक्षक शिशुपाल को निटहरा संकुल केन्द्र में पदस्थ किया गया। यहां वेतन के भुगतान के संबंध में संकुल प्रभारी ने जिला शिक्षाधिकारी को भ्रामक एवं गलत जानकारी दी, जिसके बाद जिला शिक्षाधिकारी ने उन्हें टिकटौली गुर्जर स्कूल में पदस्थ कर दिया। जुलाई-2025 से जनवरी 2026 के बीच अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे शिशुपाल को अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। परिवार के भरण-पोषण का संकट पैदा होने पर परेशान शिक्षक शिशुपाल सिंह यादव 30 जनवरी को निटहरा संकुल केन्द्र पहुंचें, जहां उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।

जहर खुरानी : शराब ठेकेदार से 12 हजार, सोने-चांदी की अंगूठियां लूटी

नवभारत न्यूज
मुरैना, 30 जनवरी। कस्बा बानमोर में रहने वाले 50 वर्षीय शराब कारोबारी को चाय में नशा

शिवपुरी से बानमोर आते समय यात्री बस में हुई घटना

की दवाई पिलाकर अज्ञात बदमाश 12 हजार रुपए नकदी, 20 हजार का मोबाइल फोन सहित सोने-चांदी की 2 अंगूठी ले गए। घटना शिवपुरी के कोलारस से बानमोर आते समय यात्री बस में हुई।

जानकारी के अनुसार बानमोर निवासी शराब ठेकेदार जगदीश शिवहरे (50) गुरुवार को कोलारस से बानमोर आने के लिए बस से शिवपुरी बस स्टैंड आए, यहां एक अज्ञात व्यक्ति उनके बगल वाली सीट पर बैठा और जान-पहचान कर ली। इस दौरान ठग ने उनसे कहा कि मैं भी बानमोर में रहता हूं और दूध डेयरी चलाता हूं। थोड़ी देर बाद ठग बस से नीचे उतरकर दो चाय ले आया और एक चाय शराब कारोबारी जगदीश शिवहरे को पिलाई और दूसरी खुद पी ली। चाय पीने के बाद व्यापारी बेहोश हो गया तो अज्ञात ठग उनकी जेब में रखे 12 हजार रुपए नकदी, 20 हजार का मोबाइल फोन और सोने-चांदी की दो अंगूठियां उतारकर रफूचक्कर हो गया। ग्वालियर बस स्टैंड पर कंडक्टर ने व्यापारी को बेहोशी की हालत में नीचे उतार दिया, यहां होश आने पर पीड़ित ने पुलिस को पूरी घटना बताई।

ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध धारा-106 का केस दर्ज

मुरैना, 30 जनवरी। सिविल लाईन थाना क्षेत्र में विगत 11 जनवरी को एनएच-44 हाईवे पर धौलपुर साइड में नौशाद बैटरी वाले के सामने सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक-एमपी06-जेडएल-6699 के चालक ने बाइक पर सवार रूपसिंह पुत्र सुजान सिंह सिकरवार नि. कोकसिंह का पुरा खांडौली और उसकी पुत्री कु. अंशु 16 पुत्री रूपसिंह सिकरवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में अंशु की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रूप सिंह जख्मी हो गया था। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध बीएनएस की धारा-106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

कार ड्राईवर के विरुद्ध धारा-106 का मामला दर्ज

मुरैना, 30 जनवरी। बानमोर थाना क्षेत्र में 28 जनवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे कार क्रं. एमपी06-सीबी-2553 के चालक ने एनएच-44 हाईवे पर प्रदीप पिप्पल 27 पुत्र भरत पिप्पल निवासी सिद्धि विनायक स्कूल के पास खदान रोड बानमोर को टक्कर मार दी थी। हादसे में जख्मी प्रदीप की अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने कार के ड्राईवर के विरुद्ध बीएनएस की धारा-106 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

रील बनाने के फेर में बेकाबू बोलेरो पांटून पुल से गिरने से बची

नवभारत न्यूज
मुरैना/अंबाह, 30 जनवरी। सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में एक बोलेरो

चंबल नदी के उसैद घाट पर टला बड़ा हादसा

चंबल नदी में गिरने से बाल-बाल बच गई। घटना अंबाह के उसैद घाट स्थित पैंटून पुल का है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार

को दोपहर के समय पैंटून पुल से गुजर रही एक बोलेरो कार में सवार लोग पुल पार करते हुए रील शूट कर रहे थे। इसी दौरान बोलेरो अनियंत्रित होकर पुल के साइड में लगे बेरिकेड्स से टकराई और उसका अगला पहिया हवा में लटक गया। जिससे बोलेरो सवार युवकों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पांटून पुल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर की मदद से बोलेरो को सुरक्षित खींचकर पक्की सड़क तक पहुंचाया।

जहरीला पदार्थ खाने से अधेड़ व्यक्ति की मौत

मुरैना, 30 जनवरी। नगरा थाना क्षेत्र के ग्राम रौरियापुरा निवासी पप्पू उर्फ रामराज 53 पुत्र दाताराम बाल्मीक ने विगत 9 जनवरी को जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उसे गंभीर हालत में जेएएच ग्वालियर में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

बानमोर में युवक की मारपीट का मामला दर्ज : बानमोर पुलिस ने मुकेश पुत्र अमर सिंह खटीक नि. खदान रोड बानमोर की रिपोर्ट पर रामरहीस, रामेश्वर, सुनील खटीक नि. भगीतापुरा के विरुद्ध मारपीट और धमकी दिए जाने का मामला दर्ज किया है।

आम सूचना

श्री गिर्राज सिंह कुशवाह पुत्र श्री दयाकिशन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित शिव नगर, मुंशी का बाग रोड एवं अम्बाह बायपास रोड के बीच, ग्राम जौरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.05 (तात्याटोपे वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.629/1 ग्राम जौरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और चतुर्सीमा निम्न प्रकार है पूर्व में रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भवन श्री श्याम सिंह, उत्तर में भवन श्री राजावत एवं दक्षिण में भूखण्ड श्री चंद्रशेखर शर्मा है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री तोतारात पुत्र श्री नगवानदास, श्री राघवेन्द्र पुत्र श्री विष्णुस्वरूप, श्री निहारी पुत्र श्री पातीराम, श्री हरिकृष्ण पुत्र श्री परसोत्तमदास एवं श्री रामसेवक पुत्र श्री बालमुकुन्द द्वारा श्रीमती नन्नी देवी पत्नी श्री जयप्रकाश की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.227 दिनांक 22.04.1991 से विक्रय की गई। श्रीमती मन्नी देवी का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री शोभाराम शर्मा उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री जयप्रकाश द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री गिर्राज सिंह कुशवाह पुत्र श्री दयाकिशन को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792022ए1119403 दिनांक 07.02.2022 से विक्रय की गई। श्री गिर्राज सिंह कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्णा फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती मन्नी देवी के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्दक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 5 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरुद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट र्यामवन क्र. 52. कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं.98276-72710

आम सूचना

श्री राकेश एवं श्री सतेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कल्याण सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अबल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित बिरिमल नगर, टी.आई.टी. कॉलोनी, ग्राम जौरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जी नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.05 (तात्याटोपे वार्ड) में स्थित है जो भूमि राणे क्र.266/मिन (वर्तमान सर्वे प्र.255/43(एस)) ग्राम जौरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूखण्ड कुशवाह, उत्तर में भूखण्ड श्री वीरेन्द्र सरपंच एवं दक्षिण में-भूखण्ड श्री बारेलाल है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री महेश, श्री राकेश श्री हेमन्त पुत्रगण श्री श्रीराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री महेश, श्री राकेश, श्री हेमना जये मुख्त्यारआम श्री रामसेवक गुप्ता पुत्र रखें. श्री कन्हैयालाल गुप्ता द्वारा उक्त सम्पतित श्रीमती हरिप्यारी पत्नी श्री विजय सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2864 दिनांक 06.08.2007 से विक्रय की गई। श्रीमती हरिप्यारी का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी श्री उदय सिंह, श्री भोगीराम एवं श्री भूपेन्द्र रातीर पुत्रगण श्री विजय सिंह उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री उदय सिंह, श्री भोगीराम एवं श्री भूपेन्द्र रातीर द्वारा उका सम्पति श्री राकेश एवं श्री सतेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कल्याण सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792024 ए11148299 दिनांक 19:09:2024 से विक्रय की गई। श्री राकेश एवं श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती हरिप्यारी के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में यधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्थात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरुद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट र्यामवन क्र. 52. कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं.98276-72710

10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को ताउम्र कैद, जुर्माना

नवभारत न्यूज
मुरैना, 30 जनवरी। सितंबर-2024 में नगरा थाना क्षेत्र की शिकहरा पंचायत के घमंडी की खोड़ में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय की जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती चारूलता दांगी

सितंबर-2024 में नगरा क्षेत्र के शिकहरा गांव में हुई थी घटना

ने दोषी को आजीवन कैद और 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक इंद्रेश प्रधान ने किया।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार नगरा क्षेत्र के घमंडी की खोड़ में 23 सितंबर 2024 को खेत में बकरियों को चरा रही दस वर्षीय पीड़िता के साथ अभियुक्त उदयवीर सिंह उर्फ उदय सिंह 28 पुत्र साहब सिंह गुर्जर नि. घमंडी की खोड़, शिकहरा, रजौधा चौकी ने दुष्कर्म कर डाला था। इस घटना को लेकर नगरा थाना पुलिस ने धारा-64, 65 बीएनएस 5 (एम), 6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध क्रं. 97/2024 पंजीबद्ध किया था। इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन पोरसा थाना प्रभारी निरीक्षक रामनरेश यादव ने 20 दिवस में पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान पीड़िता के कथनों एवं चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी उदयवीर उर्फ उदय सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।